



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267033
CG-DL-E-18102025-267033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4625]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4625]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4754(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संघ्या का.आ. 1659(E) तारीख 08 अप्रैल 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में NH565 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 14.000 तक के भूखण्ड पर (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर साहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आकद), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16 मई 2025" को "वेलुगु" (तेलुगु) और "हंस इंडिया" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि, सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के अंतर्गत निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में NH-565 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.14.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: नलगोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नलगोंडा					
गांव का नाम: पंगल					
1	136	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.121404	पादुरी पारिजाथा वाइफ ऑफ भगवन रेडी
2	147	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर (हाउस)	0.005059	पल्लेबोइना श्यामसुन्दर सन ऑफ मारैया
3	147	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर (हाउस)	0.068289	एक्स्ट्रायर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट फोर एस्एल्बीसी (इरिगेशन) प्रोजेक्ट
4	150	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर(हाउस)	0.025292	रेपाका बिक्सामैया सन ऑफ मुथैया
5	150	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर(हाउस)	0.045527	पल्लेबोइना अंडालू वाइफ ऑफ सत्यनारायण
गांव का नाम: मररीगुडा					

6	27	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.10117	जेरीपोथुला सैदुलू सन आँफ रामुलू, जेरीपोथीला बग्यम्मा वाइफ आँफ कंकेया, जेरीपोथुला गोपाल सन आँफ रमैया एंड जेरीपोथुला मुथैया सन आँफ रामुलू
7	270	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.351566	मेकला पद्मा वाइफ आँफ अलुगुबेल्ली थिरुपथी रेड्डी, सरीकोंडा उमादेवी वाइफ आँफ रघु रामराजू एंड सरीकोंडा वेंकटा रमाना सन आँफ प्रभाकर राजू
8	271	निजी (पट्टा)	ड्राय एग्रीकल्चर	0.10117	उतुकुर वेंकटरेड्डी सन आँफ बुचिरेड्डी एंड उतुकुर रवीनधर्णीडी सन आँफ बुचिरेड्डी
9	273	निजी (पट्टा)	ड्राय एग्रीकल्चर	0.080936	बुर्ग मुथैया सन आँफ गंगाया
10	28	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.108758	कोप्पोलू जगन मोहन रेड्डी सन आँफ सीताराम राओ
11	327	निजी (पट्टा)	वेट एग्रीकल्चर	0.075878	थुम्माला रघुनाथ रेड्डी सन आँफ राजीरेड्डी
12	9	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.126463	मंदादी येल्लारेड्डी सन आँफ सीतारामरेड्डी
Total				1.211512	

[फा. सं. EE/NH/KKY/Nalgonda Bypass-NH565/3a/2023-24/301/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

S.O. 4754(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 1659(E) Dated: 08 April 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Nakrekal to Nagaarjunsagar Section of NH-565 bypass in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 14.000 in the district of NALGONDA in the state of TELANGANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in "HANS INDIA" (English) and "VELUGU" (Telugu) both dated 16 May 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority did not receive any objections under Section 3C;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-565 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 14.000 in the district of NALGONDA in the state of TELANGANA

State: TELANGANA		District: NALGONDA			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nalgonda					
Village: Panagal					
1	136	Private (Patta)	Non Agriculture	0.121404	Paduri Parijatha Wife of Bhagavan Reddy
2	147	Private (Patta)	Non Agriculture (Houses)	0.005059	Palleboina Shyamsundar son of Maraiah
3	147	Private (Patta)	Non Agriculture (Houses)	0.068289	Acquired by State Government for SLBC (Irrigation) Project
4	150	Private (Patta)	Non Agriculture(Houses)	0.025292	Repaka Bixamaiah Son of Muthaiah
5	150	Private (Patta)	Non Agriculture(Houses)	0.045527	Palleboina Andalu Wife of Satyanarayana
Village: Marriguda					
6	27	Private (Patta)	Non Agriculture	0.10117	Jeripothula Saidulu Son of Ramulu, Jeripothila

					Bagyamma Wife of Kankaiah, Jerripothula Gopal Son of Ramaiah and Jerripothula Muthaiah Son of Ramulu
7	270	Private (Patta)	Non Agriculture	0.351566	Mekala Padma Wife of Alugubelli Thirupathi Reddy, Sarikonda Umadevi Wife of Raghu Ramaraju and Sarikonda Venkata Ramana Son of Prabhakar Raju
8	271	Private (Patta)	Dry Agriculture	0.10117	Utukur Venkatreddy Son of Buchireddy and Utukur Ravindharreedy Son of Buchireddy
9	273	Private (Patta)	Dry Agriculture	0.080936	Burra Muthaiah Son of Gangaiah
10	28	Private (Patta)	Non Agriculture	0.108758	Koppolu Jagan Mohan Reddy Son of Seetharama rao
11	327	Private (Patta)	Wet Agriculture	0.075878	Thummala Raghunath Reddy Son of Rajireddy
12	9	Private (Patta)	Non Agriculture	0.126463	Mandadi Yellareddy Son of Seetharamreddy
Total				1.211512	

[F. No. EE/NH/KKY/Nalgonda Bypass-NH565/3a/2023-24/301/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director